भारत सरकार
खान मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. †557
दिनांक 03.12.2025 को उत्तर देने के लिए

महत्वपूर्ण खनिज और गहन समुद्री (डीप सी) अन्वेषण

†557. श्री विश्वेश्वर हेगड़े कागेरीः
श्री काली चरण सिंहः

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) चिह्नित किए गए 20 महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉकों के अन्वेषण और नीलामी की वर्तमान स्थिति क्या है;
(ख) हिंद महासागर में समुद्री संसाधनों के अन्वेषण हेतु तकनीकी सहयोग/सम्बन्धों में तेजी लाने के लिए कौन से कदम उठाए जा रहे हैं;
(ग) राष्ट्रीय उन्नत खनिज प्रौद्योगिकी संस्थान में महत्त्वपूर्ण खनिज प्रसंस्करण हेतु प्रस्तावित अनुसंधान क्षेत्रों और सुविधाओं का ब्यौरा क्या है; और
(घ) खनन क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को आकर्षित करने के लिए प्रदान किए जा रहे विशिष्ट वित्तीय प्रोत्साहनों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कोयला और खान मंत्री
(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क): खान मंत्रालय का संबद्ध कार्यालय, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई), महत्वपूर्ण खनिजों सहित खनिजों का गवेषण करता है और इसने केंद्र सरकार को 83 महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉकों की भूवैज्ञानिक रिपोर्ट और 77 महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉकों के भूवैज्ञानिक ज्ञापन सौंपे हैं। अब तक, 59 महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉकों की सफलतापूर्वक नीलामी की गई है। इसके

अतिरिक्त, केंद्र सरकार ने नीलामी के लिए 23 महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉकों की निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईटी) अधिसूचित की है।

(ख): पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, अंतरराष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण के साथ हस्ताक्षरित समझौते के माध्यम से, हिंद महासागर में भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र (ईईज़ेड) से परे समुद्र की गहराई में स्थित खनिज संसाधनों का गवेषण करता है।

(ग): 'नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड मिनरल टेक्नोलॉजी' नाम का कोई संस्थान नहीं है। इस बात को ध्यान में रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ): प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को आकर्षित करने के लिए, एफडीआई नीति, 2020 के अनुसार, हीरा, सोना, चांदी एवं बहुमूल्य अयस्कों सहित लेकिन टाइटेनियम युक्त खनिजों तथा उनके अयस्कों को छोड़कर धातु और गैर-धातु अयस्कों के खनन एवं गवेषण के लिए स्वचालित मार्ग के तहत 100% एफडीआई की अनुमति है।

*****